23

6/क

कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, ,गाजीपुर।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाह्य न्यायालय सैदपुर, गाजीपुर में स्थित सायकिल स्टैण्ड एवं चाय, नमकीन, मीठा, के दुकानो की नीलामी प्रत्येक वर्ष की भॉति इस वर्ष भी आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु नियमानुसार दिनांक 27/03/2019 को सायं 03.00 बजे वाह्य न्यायालय सैदपुर, गाजीपुर में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकते है, नीलामी की शर्ते निम्नवत है :–

1– सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी, लेकिन साथ ही जनपद न्यायाधीश महोदय को किसी भी उच्चतम बोली को बिना कारण बताये सरसरी तौर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

2– बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व प्रत्येक दुकान हेतु रू0 3,000/–की नकद धनराशि बतौर जमानत पृथक–पृथक जमा करनी होगी।

3– सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा ठेका पर ली गयी दुकान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

4– प्रत्येक दुकानदार को मूल्य सूची दुकान पर लगानी होगी। दुकान तथा उसके आस–पास के स्थान को स्वच्छ रखना होगा। दुकान पर बिकने वाली समस्त खाद्य सामग्रियॅां ताजी एवं स्वच्छ होनी चाहिए। धूल एवं मक्खियो से बचाने हेतु खाद्य सामग्रियो को ढ़क कर रखना होगा, ऐसा न करने पर ठेका किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

5– जनपद न्यायालय के अधिकारियो एवं कर्मचारियो को खाद्य सामिग्रयॅां उचित मूल्य पर देना होगा, जिसकी दरे प्रभारी अधिकारी ,नजारत द्वारा निर्धारित की जायेगी।

6– प्रभारी अधिकारी, नजारत किसी भी समय किसी भी दुकान की जॉच कर सकते हैं। संबंधित दुकानों की जॉच करने का अधिकार सुरक्षित हैं।

7– नीलामी की कार्यवाही होने के पश्चात प्रत्येक ठेकेदार को 25 प्रतिशत धनराशि अविलम्ब जमा कराना होगा तथा नीलामी बोली अनुमोदित होने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह में जमा कराना होगा।

8– जिस ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 अथवा इसके पूर्व के ठेके की शतप्रतिशत धनराशि जमा नही की गयी है, उसे वित्तीय वर्ष 2019–20 के ठेके में बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

16.3.19

(अवध बिहारी सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–2/
अध्यक्ष, क्रय समिति,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

दिनांक–मार्च ,2019

1– प्रतिलिपि सिविल जज (जू0डि0) सैदपुर/प्रभारी नजारत, वाह्य न्यायालय सैदपुर, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार समस्त औपचारिकताऐ दिनांक 26.03.2019 को सायं 4.00 बजे तक सुनिश्चित करा ले जिससे कि दिनांक 27.03.2019 को सायं 3.00 बजे नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ करायी जा सके।

2– प्रतिलिपि नोडल आफिसर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गाजीपुर के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयो को नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थानो पर चस्पा करने हेतु प्रेषित :–

1– नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर।
2– नोटिस बोर्ड, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3– नोटिस बोर्ड, कार्यालय अध्यक्ष, जिला पंचायत, गाजीपुर।
4– नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर।
5– नोटिस बोर्ड, कार्यालय तहसीलदार ,सदर, गाजीपुर
6– नोटिस बोर्ड, कार्यालय विकास भवन, गाजीपुर।
7– नोटिस बोर्ड, कार्यालय उपजिलाधिकारी, मु0बाद, गाजीपुर।
8– नोटिस बोर्ड, कार्यालय तहसीलदार, मु0बाद, गाजीपुर।
9– नोटिस बोर्ड, कार्यालय उपजिलाधिकारी, सैदपुर, गाजीपुर।
10–नोटिस बोर्ड, कार्यालय तहसीलदार, सैदपुर, गाजीपुर।
11–नोटिस बोर्ड, केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।
12–नोटिस बोर्ड, वाह्य न्यायालय नजारत, सैदपुर, गाजीपुर।
13–नोटिस बोर्ड, वाह्य न्यायालय नजारत, मु0बाद, गाजीपुर।
14–उपनाजिर, सैदपुर, गाजीपुर को 10 प्रतियो में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराने हेतु।

16.3.19

(अवध बिहारी सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–2/
अध्यक्ष, क्रय समिति,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

दिनांक–मार्च 16 ,2019